


राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 110089-425 जयपुर, दिनांक: 15-6-18

1. उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त राजस्थान।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त राजस्थान।


विषय:- दिनांक 18.06.2018 को आयोजित विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के सन्दर्भ में।

निदेशालय स्तर से दिनांक 18.06.2018 को आयोजित होने वाली विडियों कॉन्फ्रेंसिंग का संशोधित एजेंडा पत्र के साथ संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि संलग्न एजेंडा अनुसार आयोजित वी.सी में सूचना सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


संयुक्त निदेशक(मो)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 110426 जयपुर, दिनांक 15-6-18
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।


संयुक्त निदेशक(मो)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

हस्ताक्षरित एव एजेण्डा
एजेण्डा पॉइन्ट फॉर वीसी (18.6.2018)

1. प्रधानमंत्री मातृ-वंदन योजना
2. राष्ट्रीय पोषण मिशन
-ICT RTM -
- CAS सॉफ्टवेयर-फिडिंग एवं एनालिसिस
3. मानदेयकर्मियों के चयन की स्थिति
-रिक्त पद, चयन, प्रशिक्षण
4. आंगनबाडी भवनों का निर्माण
लक्ष्य, स्वीकृत, निर्मित, कार्य प्रारम्भ
5. आंगनबाडी भवनों की मरम्मत
लक्ष्य, स्वीकृत, कार्यपूर्ण, कार्य प्रगति पर, शेष
6. आदर्श आंगनबाडी केन्द्रों की प्रगति
7. राजधारा-पर्यवेक्षकों द्वारा निरीक्षण की स्थिति
8. मानदेयकर्मियों को भुगतान की स्थिति
9. पूरक पोषाहार बिलों के भुगतान की स्थिति
10. परियोजनाओं का परिसीमन
11. अन्य बिन्दु

पेरिशान्ना (कि.ग्रा. वी) वेबसाइट पर उपलब्ध के लिए
(अ)